



राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या-1828/रा0नि0आ0अनु0-2/2668/2019

देहरादून: दिनांक: 14 सितम्बर, 2019

अधिसूचना (संशोधित)

राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1808/रा0नि0आ0अनु-2/2668/2019 दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है।

उक्त क्रम में प्रथम चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि 06.10.2019 को "महा अष्टमी" पर्व होने के फलस्वरूप मतदाताओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त अधिसूचित कार्यक्रम के प्रथम चक्र को निम्नलिखित समय-सारिणी के अनुसार संशोधित किया जाता है:-

निर्वाचन चक्र	नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां	नाम वापसी हेतु तिथि	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि	मतदान की तिथि	मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम चक्र	20 सितम्बर, 2019 से 24 सितम्बर, 2019 तक (दिनांक 22 सितम्बर, 2019 को छोड़कर) (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	25 सितम्बर, 2019 से 27 सितम्बर, 2019 तक (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	28 सितम्बर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक)	28 सितम्बर, 2019 (मध्याह्न 12:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	05 अक्टूबर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक)	21 अक्टूबर, 2019 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

द्वितीय चक्र एवं तृतीय चक्र हेतु निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम की तिथि एवं समय यथावत् रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1808/रा0नि0आ0अनु-2/2668/2019 दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

हो

(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या-1828/रा0नि0आ0अनु0-2/2668/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (फैक्स/ई.मेल)

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
13. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं०), उत्तराखण्ड(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
15. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
16. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं०), उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
17. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
18. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
19. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
20. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
21. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
22. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
23. सूचना-पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(रोशन लाल)
सचिव।